<u>राजस्थान—सरकार</u>

<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या :— 137 / 2020

बउनवान

गोपी पुत्र प्यारा जाति मीणा निवासी घट्टा तहसील छबड़ा जिला बारॉ (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबड़ा जिला बाराँ

(रेस्पोडेन्ट)

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थित :— 1— श्री गजेन्द्र कुमार नागर अभिभाषक (अपीलांट)

2— पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

<u>निर्णय दिनांक 03.07.2020</u>

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 133 / 2019 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 03.01.2020 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम घट्टा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2076 मे खसरा नम्बर 364 की रकबा 2 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन व मक्का की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 100 /— रूपये तावान से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 1.7.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने तथा बिना जवाब का मौका दिए एकपक्षीय कार्यवाही फरमाकर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है जो काबिले निरस्तनीय है। यह कि सरकारी भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को दंडित करने में कानूनी भूल की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का समस्त अवलोकन न कर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर अपीलांट को सुनवाई का मौका दिए बिना दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर [illegible]-14 की नकल शामिल किए व पटवारी हल्का के बयान दिए बिना अपीलान्ट को [illegible] अतिक्रमी मानकर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.01.2020 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को दोषमुक्त किए जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:47:16 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन व मक्का की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील प्रोपर करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष मे भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तावान दण्डित किया जाकर मौके पर सम्वत् 2075 मे भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2076 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण मे अतिक्रमित रकबा कम है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

मेरे द्वारा उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को नोटिस की तामील प्रोपर करवाई गयी थी। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा में उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये है ओर अपीलार्थी को पटवारी के बयानो में जिरह का अवसर नही दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नही लिये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 133/2019 में अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 03.01.2020 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि तहसीलदार छबडा आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौके की 2 बार जॉच करावे कि अपीलांट का अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम घट्टा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 364 की रकबा 2 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर कब्जा नही पाया जावे, तो तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 133/2019 मे पारित आदेश दिनांक 03.01.2020 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.01.2020 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:47:16 IST
Reason: SelfAttested

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति. जिला कलक्टर, बारॉ